ओ३म्
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्
राष्ट्रीय आर्यनिर्मात्री सभा

तिथि–10 अक्टूबर 2021
सृष्टि संवत्- १, ९६, ०८, ५३, १२२
युगाब्द-५१२२, अंक-१४३, वर्ष-१४
आश्विन विक्रमी २०७८ (अक्टूबर 2021)
मुख्य संपादक : हनुमत्प्रसाद 'अथर्ववेदाचार्य'
कार्यकारी संपादक : आचार्य सतीश
सम्पर्क सूत्र: 9350945482
Web: www.aryanirmatrisabha.com
E-mail : krinvantovishwaryam@gmail.com

ऋषि दयानन्द

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

(राष्ट्रीय आर्यनिर्मात्री सभा का मासिक विचार पत्र)

ऋचं वाचं प्र पद्ये मनो यजुः प्र पद्ये साम प्राणं प्र पद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्र पद्ये। वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ ॥ –यजुः० ३२। १

व्याख्यान– हे करुणाकर परमात्मन्! आपकी कृपा से मैं [(ऋचं वाचं प्रपद्ये)] ऋग्वेदादिज्ञानयुक्त (श्रवणयुक्त) होके उसका वक्ता होऊँ। [(मनो यजुः प्रपद्ये)] यजुर्वेदाभिप्रायार्थसहित सत्यार्थ मननयुक्त मन को प्राप्त होऊँ। [(साम प्राणं०)] ऐसे ही सामवेदार्थनिश्चय, निदिध्यान सहित प्राण को सदैव प्राप्त होऊँ। (वागोजः) वाग्बल, वक्तृत्वबल, मनोविज्ञानबल मुझको आप देवें। अन्तर्यामी की कृपा से मैं यथावत् प्राप्त होऊँ। (सहौजः) शरीरबल, नैरोग्य-दृढ़त्वादिगुणयुक्त को मैं आप के आनुग्रह से सदैव प्राप्त होऊँ। (मयि प्राणापानौ) हे सर्वजगज्जीवनाधार! प्राण (जिससे कि ऊर्ध्व चेष्टा होती है) और अपान (अर्थात् जिससे नीचे की चेष्टा होती है) ये दोनों मेरे शरीर में सब इन्द्रिय, सब धातुओं की शुद्धि करनेवाले, तथा नैरोग्य बल, पुष्टी, सरलगति करनेवाले, स्थिर आयुवर्धक [और] मर्मरक्षक हो। उनके अनुकूल प्राणादि को प्राप्त होके आपकी कृपा से हे ईश्वर! सदैव सुखी होके आपकी आज्ञा और उपासना में [मैं] तत्पर रहूँ ।।५।।

सम्पादकीय

न्याय-अन्याय

सम्प्रति सम्पूर्ण देश में **'किसान आन्दोलन'** पुनः चर्चा के केन्द्र में आ गया है, जिसका मुख्य कारण लखीमपुर खीरी की भयावह दुर्दान्त और दुःखदायी घटना है, जहाँ किसान आन्दोलनकारी पक्ष के चार लोग एवं उत्तर प्रदेश सरकार को संचालित करने वाली भारतीय जनता पार्टी के तीन कार्यकर्त्ता सहित एक पत्रकार की हत्या हुई है। घटनाक्रम का विवरण देने की आवश्यकता यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि घटनाक्रम के समय से अब तक चौबीसों घंटे सभी समाचार चैनल, यूट्यूब चैनल निरन्तर इस घटना को दिखा ही रहे हैं। यहाँ महत्त्वपूर्ण यह है कि आन्दोलनकारियों एवं सरकार में से किसकी जिम्मेदारी अधिक महत्त्वपूर्ण है? दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस बीभत्स घटना के घटने में मुख्य कारण क्या रहे हैं? तीसरा तथ्य यह है कि घटना में कुल आठ लोगों की दर्दनाक मृत्यु के उपरान्त न्याय-अन्याय की दृष्टि से सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए? और अन्तिम यह भी तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के दृष्टिगत जैसा व्यवहार राजनैतिक दलों के लोग कर रहे हैं, क्या ऐसा ही व्यवहार यह प्रत्येक आततायी घटना पर करते हैं?

पाठकगणों! सर्वप्रथम यह एक स्पष्ट तथ्य है कि आन्दोलनकारियों एवं सरकार में से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। चाहे सरकार किसी भी दल/पार्टी की क्यों न हो। किन्तु इस दुःखदायी घटनाक्रम में केन्द्र सरकार के माननीय मन्त्री का जो दृष्टिकोण दुर्घटना से पूर्व 25 सितम्बर को एक सभा में विरोध होने पर सुनाई देता है, यह किसी भी प्रकार से उचित दृष्टिकोण नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी भाषा सड़कछाप नेताओं की तो सुनाई देती रहती है, किन्तु एक केन्द्र सरकार के माननीय गृहराज्य मन्त्री का गौरव गरिमा ऐसी भाषा से कदापि बची नहीं रह सकती है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस प्रकार के भड़काऊ बयानों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अपने गृहराज्य मन्त्री को समुचित भाषा का प्रशिक्षण दिलाने का उमक्रम करती। किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि सरकारें अहंकार का पर्याय बन चुकी हैं, चाहे सरकार किसी भी दल की रही है। अहंकार से ग्रस्त होकर वें अपने उत्तरदायित्व से मुख मोड़ लेती हैं। रही बात दूसरे तथ्यों की जो सामने आये हैं- उनमें किसानों को मुख्यतः सपा नेताओं द्वारा उकसाना एवं सरकार को संचलित करने वाली पार्टी भाजपा का गैर जिम्मेदारी पूर्ण अंहकारी व्यवहार के साथ-साथ दुर्घटना स्थल पर शेष अगले पृष्ठ पर ....

पिछले पृष्ठ का शेष .... प्रदर्शनकारियों के बीच सुरक्षाकर्मियों (पुलिस) को पर्याप्त संख्या में तैनात न करना भी इस दुर्दान्त घटना को घटने देने के पर्याप्त एवं मुख्य कारणों में से भी मुख्य हैं। यहाँ पर भी प्रथम तथ्य अर्थात् केन्द्रीय गृहराज्य मन्त्री के 25 सितम्बर के गैर जिम्मेदाराना भाषण को घटना के लिए अवश्य ही उत्तरदायी माना जाना चाहिए।

तीसरा तथ्य कि घटना के उपरान्त न्याय-अन्याय की दृष्टि से सरकार का कर्तव्य था कि मृतकों की मृत्यु को राजनीति में फंसने से पूर्व ही 25 सितम्बर से सभी तथ्यात्मक घटनाक्रमों को विश्लेषित कर तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय गृह-राज्यमन्त्री का त्यागपत्र करवाकर, प्राथमिकी में दर्ज करवाकर अनुमानित अपराधियों को कानून के हवाले कर पारदर्शी जांच की समुचित व्यवस्था बनायी जाती, जिससे जनता में एक सकारत्मक संदेश जाता कि न्याय प्राप्ति के लिए साधारण-असाधारण का कोई बंटवारा नहीं है, अपितु न्याय की दृष्टि में सभी समान हैं। जब साधारण जनता से जुड़ा घटनाक्रम होता है, क्या तब प्राथमिकी में उल्लेखित व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता? यदि किया ही जाता है, तब ऐसे दुर्दान्त घटनाक्रम होने पर भी विशेष छूट पांच दिन बीतने तक भी क्यों मिली हुई है? क्यों माननीय उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है?

न्याय अन्याय के दृष्टिगत दुर्घटना के उपरान्त यदि राजनैतिक दलों के व्यवहार का विश्लेषण/विचार किया जाए तो यह भी एक राजनैतिक सत्ता प्राप्ति स्वार्थ सिद्धि से अधिक कुछ नही है, क्योंकि जब इन राजनैतिक दलों/पार्टियों द्वारा संचालित सरकारों वाले प्रान्तों में इसी प्रकार के निर्मम अंहकार पूर्ण प्रदर्शन, दुर्घटनाएं होती हैं, तब यही दल/पार्टियां कुछ भिन्न ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जब अपने जैसे दलों की सरकारों के द्वारा होता है तब भिन्न, और जब विरोधी दलों की सरकारों के शासन में होता है, तब तो मानो इनसे बड़ा जनता हितैषी, परोपकारी और न्यायप्रिय कोई है ही नहीं ऐसा दिखाने का नाटकीय प्रदर्शन करते हैं। आर्यजनों को ऐसी दुर्घटनाओं से, शासकदलों के अंहकार पूर्ण व्यवहार, विपक्षियों की बीभत्स राजनीति एवं मीडिया के उत्तेजनापूर्ण विनाशकारी समाचार वाचनादि से तटस्थ रहकर विवेकपूर्ण विवेचन तो करना ही चाहिए। आवश्यक शिक्षाओं का संग्रह करना चाहिए। साथ ही यह भी दृढ़मत भी अपने अन्तःकरण एवं आचारण में सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र की सभी प्रकार की दुर्भावनाओं, दुर्वृत्तों, अपराधपूर्ण व्यवहारों का एक ही समाधान है- **'आर्यकरण'**। अतः सुनिश्चित हो अधिक-अधिक **'आर्यकरण'** में प्रवृत्त रहना ही चाहिए। होना ही चाहिए। आर्यावर्त्त के लक्ष्य की ओर बढ़ना ही चाहिए।।

-आचार्य हनुमत् प्रसाद, अध्यक्ष, आर्य महासंघ।

गृहस्थ सम्बन्ध : भाग-२६

- आचार्य संजीव आर्य, मु०नगर

पति और पत्नी परस्पर एक दूसरे के रक्षक हैं वे क्यों एक दूसरे की रक्षा करते हैं? अथवा क्यों एक दूसरे की रक्षा करें? निश्चित रूप से जिन परिवारों में सिर फुटौव्वल चल रही होती है वहाँ पति पत्नी इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं जानते, यह सारे जीवन विद्या के न मिलने से रहस्य ही बना रहता है जीवन भर लडते भिड़ते सन्ताने भी उत्पन्न हो जाती हैं और उनका लालन पालन भी जैसे तैसे हो ही जाता है। परन्तु ईश्वर के इस प्रसाद से वे वंचित ही रहते हैं। कितना सुन्दर हो यदि पति-पत्नी और समस्त समाज में यह भाव जगे कि विवाह किया है तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के सुख के लिए। क्योंकि जहाँ यह तीनों प्रकार का सुख है वहीं सर्वोत्तम प्रजाओं का निर्माण व लालन पालन सम्भव है सभ्यता संस्कृति रूपी वृक्ष पर भी पुष्प व पल्लव वहीं लगते हैं जहाँ पति पत्नि इस ऊपर कहे हुवे त्रिविध सुख से युक्त होकर उत्तम प्रजाओं वाले होते हैं। यह तीनों प्रकार का सुख होने के लिए चाहिए कि दोनों एक दूसरे को पुष्ट करें और उत्तम पुष्टिकारक व्यवहार करें। यह पुष्टि शारीरिक भी है वाचिक भी है और मानसिक भी है। ऐसे परिवार भी देखने में आते हैं जहाँ पति कृषकाय हुई पत्नी को इसलिए पुष्टि कारक औषधि और फल मेवे आदि पदार्थ नहीं खिलाता क्योंकि ऐसा करना उसकी माँ को पसन्द नहीं है। जो पति अपनी पत्नी को शारीरिक पुष्टि नहीं दे सकता वह उसकी बात को परिवार के सामने भला क्या पुष्ट कर पायेगा और जहाँ यह दोनों प्रकार की पुष्टि नहीं है वहाँ मानसिक पुष्टि तो स्वप्न ही है। ऐसी स्त्रियाँ भी देखने में आती है जो पति को प्रसन्न देखकर दुखी हो जाती हैं। भोजन के समय पर कलह को गाहे-बगाहे आरम्भ कर देती हैं। उसकी बात काटने को वे अपना अधिकार ही मानती हैं। तो कई बार वे शराब आदि पीने वा मांस भक्षण आदि करने को उसे मना ही नहीं करती हैं। फिर न शरीरिक पुष्टि रही न वाचिक और मानसिक पुष्टि तो दिवास्वप्न ही हो जाती है। आर्य परिवारों में कम से कम उपरोक्त नीच व्यवहार किसी भी रूप में नहीं दिखाई पड़ने चाहियें अपितु उत्तम पुष्टि युक्त व्यवहार ही दृष्टि गोचर होने चाहियें।

सन्तान रूपी प्रजा तो दोनों की सांझी है। दोनों मिलकर सामान्ववया उसकी रक्षा करते भी हैं। किन्तु जब दोनों स्वार्थी होकर मात्र अपने सुख या अपने अहंकार पर अड़कर अलग-अलग हो जाते हैं तब सबसे अधिक असुरक्षा जिसकी होती है। वह है 'प्रजा'। निश्चित ही वह प्रजा से सुप्रजा तभी बनेगी जब दोनों के साथ-साथ समाज के सभी उपयोगी घटक इस सन्तान रूपी प्रजा की रक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारी इन्द्रियाँ हैं वे भी हमारी प्रजा हैं और उनकी रक्षा भी दोनों को करनी चाहिए। रोगों से, दुर्व्यसनों से और व्याभिचार रूपी नर्क में कूद पड़ने से। धन और अन्न दोनों का सांझा है, रक्षा भी प्रायः दम्पत्ति करते हैं किन्तु! जब तक इस अन्न धन को दोनों अपना नहीं समझते हैं; तब तक उसकी रक्षा को वे ठीक-ठीक कहाँ कर पाते हैं। अनेकों पुरुषों में जहाँ स्त्रीधन दहेज आदि की लालसा देखी जाती है। वहीं आधुनिक स्त्रियों में भी यह भाव जोर पकड़ रहा है कि विवाह किया है तो पति का कर्तव्य है कि वह हमारे शौंक हमारी इच्छाओं को पूरा करे। भले ही उसे इसके लिए आकण्ठ भ्रष्टाचार में क्यों न डूबना पडे। आर्य परिवारों में निश्चित ही ऐसी दुष्प्रवृत्तियों का विनाश होना चाहिए। तभी त्रिविध सुख की प्राप्ति सम्भव है।

क्रमश ....

संगठन और वानप्रस्थ

-आचार्य वर्चस्पति, हिसार

कोई भी संगठन अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कार्यकर्त्ताओं के समय का बलिदान माँगता है। कार्यकर्त्ता अपने निजी महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ बन्धा होता है, उसके बाद भी वह संगठन के लिये अधिक से अधिक समय निकालता है। मुख्य रूप से कार्यकर्ता तीन प्रकार के होते हैं - विद्यार्थी, गृहस्थी और वानप्रस्थी। विद्यार्थी पर विद्या पढने का दबाव रहता है और गृहस्थी अपनी आजीविका और परिवार के अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है लेकिन वानप्रस्थ सांसारिक कार्यों से मुक्त रहता है फिर भी अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या के अतिरिक्त वानप्रस्थ के लिए विद्या पढ़ाने का विधान शास्त्रों में दिया गया है।

जो वानप्रस्थ विद्या का पठन-पाठन नहीं करता, उसकी संन्यास लेने की योग्यता कभी नहीं बन सकती। इसलिये वानप्रस्थ को किसी न किसी रूप में विद्या का प्रचार-प्रसार करना ही चाहिए, यही उसका परम धर्म है। प्राचीन काल में वानप्रस्थ अपने संन्यास की तैयारी के साथ-साथ उत्तम समाज व्यवस्था बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देता था। आज भी बिना वानप्रस्थ के समाज को श्रेष्ठ समाज में व्यवस्थित करना असम्भव है। बिना वानप्रस्थ के हम केवल एक परम्परा के रूप में बीज की रक्षा कर सकते है, उस बीज को वृक्ष नहीं बना सकते क्योंकि बीज तो बीज होता है, बीज को रौंदा भी जाता है, कई बार बीज अंकुरित ही नहीं होता, अधिकतर बीज अंकुरित होने के बाद भी खरपतवारों के बीच में नष्ट हो जाते है इसलिए केवल बीज को रक्षित करने में सन्तुष्ट होना ठीक नहीं है, यह सोच संगठन के लक्ष्य के लिए हानिकारक है। सत्य यही है के बीज की रक्षा करो, फिर उसको अंकुरित करो और अंकुरित हुये कोमल पोधे को वानप्रस्थ रूपी माली के संरक्षण में सौंप दो। वानप्रस्थ ही उस पौधे को वृक्ष बना सकता है। एक ऐसा वृक्ष जो सबको छाया देवे, फल देवे और आंधी-तूफान में भी डटा रहे, विचलित न होवे। जितना आर्य बनाना आवश्यक है, उतना ही या उससे भी अधिक आर्य का संरक्षण आवश्यक है, अन्यथा बना-बनाया आर्य भी आज के खरपतवारों के बीच नष्ट हो जायेगा।

वैसे तो किसी भी धार्मिक विद्वान् का प्रभाव जन समुदाय पर रहता है लेकिन वानप्रस्थ का प्रभाव एक गृहस्थ आश्रमी से अधिक रहेगा। क्योंकि एक आर्य वानप्रस्थी त्याग और तपस्या की मूर्ति होता है। वह सांसारिक वासनाओं के आवलम्बन को छोड़ चुका है, वह ब्रह्मचर्य पालन का कठोर व्रत ले चुका है, अब उसमें धन कमाने की लालसा नहीं है, वह केवल अपनी उपासना और विद्या का पठन-पाठन करना चाहता है उसकी इसी पवित्र भावना का प्रभाव एक आर्य की रक्षा करेगा और उस आर्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। आप विचार करें यदि हमारे पास 100-200 वानप्रस्थ हो तो संगठन को कितना बडा लाभ होगा।

हमारे मन में एक शंका स्वाभाविक है कि आज के समय में वानप्रस्थ लेना महाकठिन कार्य है। इस शंका का मूल कारण हमारे संस्कार हैं। हमने सत्रों के माध्यम से सिद्धान्त तो समझ लिये हैं परन्तु आर्य बनने के पूर्व जो बुरे संस्कार हमारे भीतर थे वें आज एकदम समाप्त नहीं हो सकते। सभी आर्यो की स्थिति अलग-अलग हो सकती है, किसी में कोई संस्कार अधिक प्रबल है तो वही संस्कार किसी दूसरे में निर्बल भी हो सकता है। इसलिये समय आने पर वानप्रस्थ लेने का प्रयास तो सभी को करना चाहिये। जब लाखों आर्य प्रयास करेंगे तो 100-200 वानप्रस्थ बनने में अवश्य सफल होंगे। लुप्त परम्परा फिर से नये रूप में प्रकाशित हो जायेगी।

वर्तमान में वानप्रस्थ लेना सरल हो जाये इसके लिए कुछ उपाय संगठन द्वारा किये जा सकते हैं। सर्वप्रथम जो भी आर्य या आर्या गृहस्थ में प्रवेश करना चाहे वह वेद-शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ-धर्म का ज्ञान विवाह से पूर्व या विवाह के तुरन्त पश्चात् अवश्य प्राप्त करे। संगठन के आचार्यों को गृहस्थ-धर्म के ज्ञान के लिए सप्ताह-दश दिन का एक प्रभावशाली पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए और संगठन उन नवयुवक-नवयुवतियों को गृहस्थ-धर्म का पाठ्यक्रम पढ़ाने की उचित व्यवस्था करे। ऐसा करने पर ये नवविवाहित गृहस्थी अपनी दिनचर्या में सन्ध्या-उपासना, यज्ञ, स्वाध्याय, धर्माचरण, इन्द्रियों पर संयम आदि करके सद्गृहस्थी बनने का प्रयास करेंगे। संसार की बहुत सारी बुराइयों से कोसो दूर रहेंगे।

25-30 वर्ष तक उपरोक्त आर्य दिनचर्या में रहने वाले गृहस्थियों को वानप्रस्थ लेना महाकठिन कार्य नहीं लगेगा। वानप्रस्थ लेना उनके लिए कठिन होगा जो नियमित रूप से स्वाध्याय नहीं करते। या फिर पूर्व जन्म के कुसंस्कार बहुत अधिक प्रभावशाली हैं। फिर भी प्रत्येक आर्य और आर्या को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय यह संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि एक दिन मैं वानप्रस्थ आश्रम में भी प्रवेश करूँगा या करूँगी। मन में इच्छा होनी चाहिए कि हे ईश्वर! हम वानप्रस्थ की योग्यता को धारण कर सकें।

दूसरा उपाय हमारे संगठन को वर्ष में दो बार ध्यान-योग प्रशिक्षण सत्रों का विशेष आयोजन करना चाहिये। संगठन के योग्य आचार्यगण ध्यान-योग का पाठ्यक्रम बनायें जिससे मन की वृत्तियों के नियन्त्रण करने की विशेष प्रक्रिया गृहस्थ लोग समझ पायें और उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। क्योंकि मन की वृत्तियाँ ही वानप्रस्थ लेने में बाधक हैं, सब परिस्थितियां अनुकूल होने पर भी व्यक्ति मन की वृत्तियों के आगे हार मान जाता है और वानप्रस्थ न लेने के लिए सौ बहाने ढूंढ लेता है। इसलिये ध्यान-योग सत्रों का आयोजन शीध्र प्रारम्भ होना चाहिये।

तीसरा उपाय गृहस्थ आर्यों की अपने बालक-बालिकाओं के लिए चिन्ता बनी रहती है, इसके लिए भी संगठन को एक कार्य योजना बनानी होगी। संगठन को आर्य सन्तान के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाना होगा। इस पाठ्यक्रम में सामान्य संस्कृत, व्याकरण, अनुवाद और सरल शिक्षाप्रद विषयों को शामिल करना होगा ताकि हमारे बालक आधुनिक पढ़ाई के साथ-साथ आर्य संस्कारों से भी ओत-प्रोत हो जायें । तभी वे बालक युवा होकर अपने माता पिता के वानप्रस्थ संस्कार में मुख्य सहायक बन पायेंगे, किसी भी प्रकार की बाधा नही बनेंगे। वानप्रस्थ में प्रवेश करते समय अपनी सन्तान को सहायक देखकर मन में शान्ति और विश्वास पैदा होगा कि अब मुझे कोई चिन्ता नहीं। अब मै पूर्णकालिक रूप से अपना और समाज का निर्माण करूँगा; विद्या का आदान-प्रदान करूँगा। धन्य हैं वे लोग जिनको वानप्रस्थ बनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि संगठन वानप्रस्थ के लिए एक वातावरण बनाये और इच्छुक आर्यगण वानप्रस्थ के लिए आगे आयें, अपना और संगठन का विकास करके जीवन धन्य बनायें। अन्यथा वेद की परम्पराओं को धरती पर उतारना असम्भव है। वानप्रस्थ के नाम पर स्वार्थ और ढोंग को बढ़ने से एक आर्य ही रोक सकता है केवल बातें बनाना वानप्रस्थ नहीं हो सकता, हमें समाज के लिए कुछ तो विशेष करना होगा। जो आर्य वानप्रस्थ की आयु को प्राप्त हो गये हैं, सन्तान की भी सन्तान हो गई है, परिवार पर कोई आर्थिक संकट भी नहीं है शरीर में कोई विशेष बीमारी भी नहीं है उनको तो सब व्यर्थ की चिन्ता छोड़कर वानप्रस्थ लेकर हमारे जैसे भावी वानप्रस्थों के लिए भी प्रेरणा बनना चाहिये। तभी जय आर्य, जय आर्यावर्त का उद्घोष सार्थक होगा।

सहज सरल सांख्य-१६

- आचार्य सतीश, दिल्ली

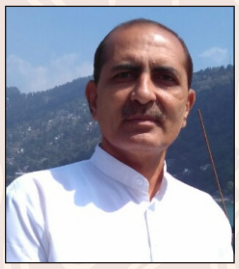

अध्याय 4

एक राजपुत्र अल्पायु में अपने परिवार से बिछुड़कर शबर जाति के पास पहुंच गया और बड़ा होकर जंगल में रहते हुए अपने को शबर ही मानता रहा। लेकिन जब मन्त्री को उसका पता चला और उसको समझाया और बताया गया कि तुम शबर पुत्र नहीं अपितु राजपुत्र हो तो वह अपने को शबर समझने की मिथ्या भावना से मुक्त हो जाता है।

इसी प्रकार आत्मज्ञानी उपदेष्टा के आत्मविषयक उपदेश से अधिकारी जिज्ञासु प्रकृति एवं प्राकृत जड़ धर्मों के अतिरिक्त अपने को शुद्ध चेतन स्वरूप समझ लेता है और आत्मासाक्षात्कार कर मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है।

क्या एक को दिए गए उपदेश से प्रसंगवश दूसरा भी लाभ उठा लेता है?

एक गुरु द्वारा अपने शिष्य को जंगल में एकान्त में दिया जा रहा उपदेश एक पिशाच द्वारा छिपकर सुन लिया और उस पर आचरण करता हुआ कालान्तर में वह आत्माज्ञानी हो गया।

अत: दूसरे को उपदेश के प्रसंग में यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसे सुन ले, तो वह भी उस उपदेश का लाभ उठाकर वास्तविक तत्व को जान लेता है अर्थात् सन्मार्ग का उपेदश कहीं से भी प्राप्त हो जाए उसके अनुसार आचारण करने पर तत्वज्ञान हो जाता है।

क्या एक बार का ही उपदेश प्रर्याप्त है?

उपदेश की आवृत्ति होनी चाहिए, पुन: पुन: उपदेश सुनना चाहिए।

क्या तत्वज्ञान के उपदेश के लिए उपदेष्टा गुरु का ही होना आवश्यक है?

किसी घटना में व्यवस्थित गुरु शिष्य का भाव नहीं होता, पर उनमें यथार्थ तत्व का आदान-प्रदान होता है। और उससे आवश्यक फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे व्यक्ति पिता की मृत्यु और पुत्र के जन्म को देखकर जन्म-मरण चक्रयुक्त संसार को समझ जाता है।

एक बार एक व्यक्ति अपनी गर्भिणी स्त्री को छोड़कर परदेश चला जाता है। जब दीर्घकाल पश्चात् वापिस आता है तो न पिता पुत्र को जानता है और न ही पुत्र पिता को। तब उस स्त्री ने दोनों को प्रबोध अथवा ज्ञान कराया। इसी प्रकार अध्यात्म विषय में भी कभी व्यवस्थित गुरु के बिना, अन्य सुहृद् आदि के कथनमात्र से तत्वज्ञान हो जाता है।

सुख का एक कारण त्याग कैसे करना चाहिए?

श्येन अर्थात् बाज मांस का टुकड़ा लेकर धूम रहा था। अपने से बलवान द्वारा उसे बलात् छीन लिया गया संघर्ष के उपरान्त। यदि वह स्वयं उसे त्याग देता तो छीने जाने के दुख से बच जाता। वैसे भी उस समय उसको आवश्यकता नहीं थी इसीलिए लेकर घूम रहा था।

अत: आत्म-जिज्ञासु व्यक्ति को परिग्रह से सदा बचना चाहिए। वस्तु को स्वयं त्याग देना सुख की स्थिति को उत्पन्न करता है और किसी के द्वारा बलात् वस्तु का वियोग कराया जाता है तो उसके लिए दुखदायी हो जाता है। ऐसे त्याग में ही वास्तविक शान्ति का लाभ निहित है, जो आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाती है।

त्याग के सम्बन्ध में सूत्रकार ने कुछ और दृष्टान्त दिए हैं।

जैसे सांप पुरानी त्वचा अर्थात् केंचुली को त्याग कर सुखी होता है ऐसे ही विवेकी जन बहुत काल तक भोगी हुई भोग सृष्टि को विवेक से त्यागकर सुखी होता है।

जैसे रोगग्रस्त हाथ के कट जाने से मनुष्य सुखी हो जाता है वैसे ही भोगों को विषयुक्त समझकर त्याग देने पर विवेकी जन सुख को प्राप्त होता है।

जैसे आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ रहे, भरत को किसी ने हरिण का अनाथ बच्चा पालने को दे दिया और उसने आसक्त होकर उसका मुक्ति का मार्ग ही छूट गया। इसी प्रकार त्याग किए हुए भोगों का चिन्तन भी नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य भी यदि वे मार्ग के साधन भूत नहीं है तो उनका चिन्तन या करना भी उसके लिए अहितकार है।

जैसे कुमारी के हाथ पहनी शंख की चुडियाँ आपस में रगड़कर झनझनाती रहती है वैसे ही इक्ठ्ठे संगत में रहते हुए, व्यक्तियों का परस्पर संघर्षरत रहना स्वाभाविक है। बहुत व्यक्तियों के साथ संघर्ष में रहने से राग, द्वेष, संघर्ष कलह आदि के कारण योगविरोधी स्थिति अथवा पारस्परिक विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। जो आत्मज्ञान के लिए बाधक है। इसलिए आत्मजिज्ञासु को संगत से सदा बचना चाहिए।

क्या दो का एकत्र रहना भी योग मार्ग में बाधक है?

दो के साथ भी, कम मात्रा में सही, रागादि से विरोध या दोष होना सम्भव है। अत: विवेकी को एकाकी रहना ही ठीक है। जैसे कुमारी के हाथ में यदि एक कंकण है तो ध्वनि रहित एवं शान्त रहता है।

क्रमश ....

21 सितम्बर-20 अक्टूबर 2021 — आश्विन — ऋतु- शरद

सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार	रविवार
	उत्तराभाद्रपदा कृष्ण प्रतिपदा 21 सितम्बर	रेवती कृष्ण द्वितीया 22 सितम्बर	अश्विनी कृष्ण द्वितीया 23 सितम्बर	अश्विनी कृष्ण तृतीया 24 सितम्बर	भरणी कृष्ण चतुर्थी 25 सितम्बर	कृतिका कृष्ण पंचमी 26 सितम्बर
रोहिणी कृष्ण षष्ठी 27 सितम्बर	मृगशिरा कृष्ण सप्तमी 28 सितम्बर	आर्द्रा शुक्ल अष्टमी 29 सितम्बर	पुनर्वसु शुक्ल नवमी 30 सितम्बर	पुष्य शुक्ल दशमी 1 अक्टूबर	आश्लेषा शुक्ल एकादशी 2 अक्टूबर	मघा शुक्ल द्वादशी 3 अक्टूबर
पू० फाल्गुनी कृष्ण त्रयोदशी 4 अक्टूबर	उ० फाल्गुनी कृष्ण चतुर्दशी 5 अक्टूबर	हस्त कृष्ण अमावस्या 6 अक्टूबर	चित्रा शुक्ल प्रतिपदा 7 अक्टूबर	स्वाती शुक्ल द्वितीया 8 अक्टूबर	विशाखा शुक्ल तृतीया/चतुर्थी 9 अक्टूबर	अनुराधा शुक्ल पंचमी 10 अक्टूबर
ज्येष्ठा शुक्ल षष्ठी 11 अक्टूबर	मूल शुक्ल सप्तमी 12 अक्टूबर	पूर्वाषाढ़ा शुक्ल अष्टमी 13 अक्टूबर	उत्तराषाढ़ा शुक्ल नवमी 14 अक्टूबर	श्रवण शुक्ल दशमी 15 अक्टूबर	धनिष्ठा शुक्ल एकादशी 16 अक्टूबर	शतभिषा शुक्ल द्वादशी 17 अक्टूबर
पूर्वाभाद्रपदा शुक्ल त्रयोदशी 18 अक्टूबर	उत्तराभाद्रपदा शुक्ल चतुर्दशी 19 अक्टूबर	रेवती शुक्ल पूर्णिमा 20 अक्टूबर		शुक्ल विजय दिवस आश्विन शुक्ल दशमी 15 अक्टूबर		

21 अक्टूबर-19 नवम्बर 2021 — कार्तिक — ऋतु- हेमन्त

सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार	रविवार
शुभ दीपावली 4 नवम्बर			अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा 21 अक्टूबर	भरणी कृष्ण द्वितीया 22 अक्टूबर	कृतिका कृष्ण तृतीया 23 अक्टूबर	रोहिणी कृष्ण चतुर्थी 24 अक्टूबर
मृगशिरा कृष्ण पंचमी 25 अक्टूबर	आर्द्रा कृष्ण पंचमी 26 अक्टूबर	आर्द्रा कृष्ण षष्ठी 27 अक्टूबर	पुनर्वसु कृष्ण सप्तमी 28 अक्टूबर	पुष्य कृष्ण अष्टमी 29 अक्टूबर	आश्लेषा कृष्ण नवमी 30 अक्टूबर	मघा कृष्ण दशमी 31 अक्टूबर
पू० फाल्गुनी कृष्ण एकादशी 1 नवम्बर	उ० फाल्गुनी कृष्ण द्वादशी 2 नवम्बर	हस्त कृष्ण त्रयोदशी/चतुर्दशी 3 नवम्बर	चित्रा/स्वाती कृष्ण अमावस्या 4 नवम्बर	विशाखा शुक्ल प्रतिपदा 5 नवम्बर	अनुराधा शुक्ल द्वितीया 6 नवम्बर	ज्येष्ठा शुक्ल तृतीया 7 नवम्बर
मूल शुक्ल चतुर्थी 8 नवम्बर	पूर्वाषाढ़ा शुक्ल पंचमी 9 नवम्बर	उत्तराषाढ़ा शुक्ल षष्ठी 10 नवम्बर	श्रवण शुक्ल सप्तमी/अष्टमी 11 नवम्बर	धनिष्ठा शुक्ल नवमी 12 नवम्बर	शतभिषा शुक्ल दशमी 13 नवम्बर	पूर्वाभाद्रपदा शुक्ल एकादशी 14 नवम्बर
उत्तराभाद्रपदा शुक्ल द्वादशी 15 नवम्बर	रेवती शुक्ल द्वादशी 16 नवम्बर	अश्विनी शुक्ल त्रयोदशी 17 नवम्बर	भरणी शुक्ल चतुर्दशी 18 नवम्बर	कृतिका शुक्ल पूर्णिमा 19 नवम्बर		

प्राचीन भारत में नारीवाद-३

-सोनू आर्य, हरसौला

अत: यदि विभिन्न कारणों से विवाह के बहुत वर्ष बाद संतान न हो तो विशेष परिस्थिति में स्त्री-पुरुष दोनों को नियोग कर पुत्र प्राप्ति का प्रावधान भी हमारे शास्त्रों में किया गया है। यथा- पत्नी किसी धर्म संबंधी कार्य के लिए परदेश गए हुए पति की आठ वर्ष तक आने की प्रतीक्षा करे, विद्या प्राप्ति के लिए गए हुए कि छह वर्ष तक आने की प्रतीक्षा करे धन प्राप्ति आदि कामनाओं की प्राप्ति के लिए परदेश गए हुए पति की तीन वर्ष तक आने की प्रतीक्षा करे, इसके पश्चात नियोग द्वारा संतानोत्पत्ति कर ले।

आधुनिक काल में स्त्री जाति के उन्नायक महर्षि दयानंद का भी यही मत है। नियोग का व्यवहारिक दृष्टान्त महाभारत में द्रष्टव्य है। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान प्राप्ति हेतु महर्षि व्यास नियोग करते हैं। पांडु के पुत्ररहित होने के कारण कुंती और माद्री पांडु की आज्ञा से नियोग करके संतान प्राप्त करती हैं। यह प्रथा वर्तमान हिंदू समाज में भी ज्यों की त्यों प्रचलित है। हरियाणवी भाषा में इसे 'लत्ता दिलवाना' कहा जाता है। कुछ आलोचक इस प्राचीन प्रथा को निंदनीय पशुवत मानते हैं किंतु गंभीरता से विचार करें तो वास्तविकता कुछ और ही है। प्रथम तो यह प्रथा सामान्य नहीं अपितु विशेष परिस्थितियों के लिए है। द्वितीय जिस प्रकार समाज व परिवार की अनुमति से विवाह बाद बना पति-पत्नि संबंध हेय नहीं होता नियोग में भी स्त्री पुरुष व परिवारजनों की सहमति से ही संबंध मात्र संतान प्राप्ति के लिए बनता है, आनंद के लिए नहीं। जिन समाजों में यह प्रचलित है वहां के व्यवहारिक उदाहरणों से स्पष्ट है कि इसमें लोक मर्यादा विरुद्ध कुछ भी नहीं है। इसी कारण भारत सरकार ने भी **सेरोगेसी रेगुलेशन बिल २०२०** के अंतर्गत 35-45 वर्ष की तलाकशुदा विधवा महिलाओं को भी **सेरोगेट मदर** बनने की कानूनी अनुमति प्रदान की है! यदि इस प्रथा में कुछ भी दोष होता तो वर्तमान समाज में यह प्रचलित ही ना होती और न ही इसे निर्वाचित सरकार कानूनी वैधता प्रदान करती।

वर्तमान काल में दहेज के कारण नारी जाति को जो यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, वह कष्टदायक तो हैं ही मानवता पर बहुत बड़ा कलंक भी हैं। भला जीवित प्राणी के सम्मान का आकलन जड़ वस्तुओं पर कैसे निर्भर हो सकता है। हमारे पूर्वज इस तथ्य से भली भांति परिचित थे! अत: वेदों व मनुस्मृति में दहेज न लेने देने का प्रावधान किया गया है। यथा -कन्या के बुद्धिमान पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में शुल्क व धन न ले व न दे, क्योंकि लोभ में आकर शुल्क लेने पर निश्चय ही वह मनुष्य संतान को बेचने वाला कहाता है। जो वर के माता-पिता, बहन-भाई आदि संबंधी लोभ या तृष्णा के वशीभूत होकर कन्याओं के धनों को कन्या पक्ष की सवारी या वस्त्रों आदि को ग्रहण कर, उनका उपभोग करके जीते हैं, वे पापी लोग नीच गति अर्थात् पतन को प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों ने आर्ष विवाह में गौ युगल (बैलों के जोड़े) को शुल्क रूप में लेने का कथन किया है, वह अनुचित ही है, मिथ्या ही है, क्योंकि इस प्रकार चाहे थोड़ा अथवा अधिक हो, वह धन का लेना देना है, वह निश्चय से कन्या को बेचना ही है। बिना कुछ धन लिए कन्याओं का विवाह करना उन्हें बेचना नहीं अपितु कन्याओं का वास्तविक पूजा सत्कार व सम्मान है। महर्षि दयानंद के शब्दों में 'कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्ष विवाह है।'

भारतीय संस्कृति में नारी को कभी भी भोग की वस्तु नहीं माना गया। हमने नारी को लक्ष्मी (धन की देवी), सरस्वती (विद्या की देवी), दुर्गा (शक्ति की देवी), नारायणी तथा माता के रूप में सम्मान दिया है। कामवासना से पीड़ित अप्सरा उर्वशी जब प्रणय निवेदन ले अर्जुन समक्ष गई तो अर्जुन ने भारतीय परंपरानुसार उसे माता कहकर संबोधित किया। वैदिक विवाह इस्लाम व ईसाईयत की भांति सामाजिक समझौता अथवा यौनानंद हेतु नहीं अपितु सात जन्मों का बंधन समझा जाता था। अत: वैदिक वांग्मय में जगह-जगह स्त्री-पुरुष को एक दूसरे के अनुकूल होने का विचार आता है। 'हे वर-वधू! आप दोनों इसी गृहस्थ आश्रम में स्थिर रहो तुम्हारा वियोग कदापि न हो।' स्त्री पुरुष कभी ना बिछड़ें। विवाहित स्त्री पुरुष जिस प्रकार से कि एक दूसरे से मतभेद न हो और अलग ना हो, वैवाहिक संबंध विच्छेदन हो पाए, वैसा उपाय करने का सदा प्रयत्न रखें। स्त्री पुरुष समान हैं, सभी कार्य मिलकर करें। पति को पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए पत्नी आदि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न अपशब्द कहने चाहिए ।यदि कोई ऐसा करें तो वह दंडनीय है।

उक्त व्यवस्थाएं विशुद्ध वैदिक काल के लिए की गई थी किंतु महाभारत पश्चात भारतीय शिक्षा प्रणाली में आई गिरावट से समाज भी कुप्रभावित हुआ जिससे पारिवारिक संस्था भी अछूती न रही! इसीलिए डॉक्टर अंबेड़कर के अनुसार मनु काल के विपरीत कौटिल्य के युग में स्त्री अपने पति के साथ परस्पर वैर और घृणा के आधार पर विवाह विच्छेद कर सकती थी। अगर कोई स्त्री अपने पति से खतरा अनुभव करती है और उससे विवाह विच्छेद करना चाहती है तो उसका पति की संपत्ति पर कोई अधिकार शेष नहीं रहेगा। पति के दुश्चरित्र होने पर प्रत्येक पत्नी अपना विवाह विच्छेद कर सकती है ....। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के समय तक की महिलाओं के अधिकार यहां तक थे कि यदि उनके साथ घरेलू मारपीट या उनके सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य व्यवहार पतिद्वारा किया जाता तो वें उस अपमान या हिंसा मारपीट के विरोध में न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती थी। यह भी व्यवहार प्रावधान था कि यदि किसी महिला का पति उसे छोड़कर कहीं चला गया और एक निश्चित अवधि तक नहीं आता था तो उस महिला को स्वत: अधिकार था कि वह अपने मनपसंद ऐसे अन्य व्यक्ति से विवाह रचा ले जो उसका भरण पोषण उचित रूप से कर सकता हो।

स्पष्ट है कि परिस्थिति एवं समयानुसार महिलाओं को संयुक्त अथवा संबंध विच्छेद करके अलग अलग रहने का प्रावधान विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में भारतीय चिन्तकों द्वारा गया है।

साम्यवादी नारीवादी मुख्यत: पितृसत्तात्मकता को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि पैतृक संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार होने से स्त्री को उसकी दासी बनकर रहना पड़ता है। अत: नारी शोषण के लिए संपत्ति जिम्मेदार है, किंतु भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को संपत्ति में भागीदार माना गया है। पति के जीते हुए स्त्रियों ने जो आभूषण धारण किए हैं पति मर जाने पर पति के भाई या पुत्र उसको न बांटे। यदि वे उन्हें लेते हैं तो दोषी कहलाते हैं। छह प्रकार का स्त्रीधन विवाह के समय प्राप्त धन, पिता के घर से प्राप्त धन, पति द्वारा दिया धन, भाई से, माता से व पिता से प्राप्त धन, वह अविवाहित कन्या का भाग होता है। अपुत्रवान माता-पिता की दायभागीय संपूर्ण संपत्ति की अधिकारिणी उसकी कन्या ही होगी। वह संपत्ति अन्य किसी को नहीं दी जा सकती। माता की मृत्यु उपरान्त सब सगे भाई बहन माता के पारिवारिक धन को बराबर बराबर बांट लें। बहनों की पुत्रियों को भी नानी के धन से कुछ देना चाहिए। सब भाई अविवाहित बहनों के लिए पृथक-पृथक चतुर्थांश अपने भागों से देवें। न देने वाले दोषी और निंदनीय माने जाएंगे। संतानहीन और पत्नीहीन पुत्र के धन को माता प्राप्त करे और माता मर गई हो, तो पिता की माता अर्थात् दादी उसके धन को ले ले।

क्रमश ....

आर्योद्देश्यरत्नमाला

प्रणेता - ऋषि दयानन्द
व्याख्याता - आचार्य परमदेव मीमांसक

४५. आश्रम-जिनमें अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम-गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ काम किये जायें उनको **'आश्रम'** कहते हैं।

४६. आश्रम के भेद-जो सद्विद्यादि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेन्द्रियता आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिये **ब्रह्मचारी,** जो संतानोत्पत्ति और विद्यादि सब व्यवहार को सिद्ध करने के लिये **गृहाश्रम,** जो विचार के लिये **वानप्रस्थ** और सर्वोपकार करने के लिये **संन्यासाश्रम** होता है, ये **'चार आश्रम'** कहाते हैं।

व्याख्या-मनुष्य की आयु को चार भागों में बाँटा गया है, एक-एक भाग में उस-उस भाग के अनुरूप अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ कार्य किये जाते हैं, इसलिए प्रति भाग को आश्रम कहते हैं। चारों आश्रमों में स्वाभाविक है, जो प्रथम होगा, अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा, प्रथम आश्रम **ब्रह्मचर्य आश्रम** कहलाता है, इसमें सत्य विद्या अर्थात् वेदाध्ययन, आर्ष ग्रन्थों का अध्ययन, शुभ गुणों का ग्रहण, श्रेष्ठ आचरण, जितेन्द्रयता से आत्मिक बल अर्थात् ज्ञान की वृद्धि, श्रेष्ठ-व्यवहार और शरीर के बल को बढ़ाते हैं। द्वितीय आश्रम में सद् विद्यादि का अध्यापन, सन्तानोत्पत्ति, सांसारिक एवं पारमार्थिक व्यवहारों को सिद्ध करते हैं, इस को **गृहस्थाश्रम** कहते हैं। तृतीय आश्रम में आत्मा, परमात्मा, समाज, नैतिकता, राष्ट्रीयता आदि विषयों पर एकान्त में विचारमन्थन होता है, इस को **वानप्रस्थ** कहते हैं। इसमें मुख्यत: परमात्मा और आत्मा का विचार अर्थात् स्वाध्याय-श्रवण-मनन और निदिध्यासन करना होता है। पूर्णविद्या, वैराग्य, ईश्वर और धर्म पर अत्यन्त श्रद्धा युक्त हो मोक्षप्राप्ति तथा समस्त प्राणियों पर उपकार करने हेतु चतुर्थ आश्रम **संन्यासाश्रम** होता है।

४७. यज्ञ-जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यन्त जो शिल्प-व्यवहार और जो पदार्थ-विज्ञान है, जो कि जगत् के उपकार के लिये किया जाता है, उसको **यज्ञ** कहते हैं।

व्याख्या-**यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थात् रयायन जो कि पदार्थविद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का दान अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, ओषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुँचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ।**

(सत्यार्थप्रकाश-स्वम०प्रकाश)

यज्ञ है देवों की पूजा, संगतिकरण और दान। विद्वानों एवं माता-पिता आदि को देव कहते हैं। इनका यथायोग्य सत्कार-सेवा-शुश्रूषा आदि देवों की पूजा; पदार्थों के ज्ञान पूर्वक उनका उचित परस्पर मेल आदि करके जो भौतिक एवं रसायन विद्या (शिल्प) है वह संगतिकरण; इसमें अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधपर्यन्त जो याग विशेष हैं उनसे भी शिल्प विद्या सीखते हैं। व्यवहार सीखते हैं, याग रसायन विद्या तो है ही; इनसे जगत् का महा उपकार होता है, वायु शुद्धि, वृष्टि, जल शुद्धि एवं ओषधियां उत्तम होती हैं। शिल्पविद्यादि का याथोग्य उपयोग लेना होता है। विद्या का दान सर्वोपरि दान है, इसमें वेदविद्या का पढ़ाना सर्वोत्तम है; भौतिक विद्यादि जो वेदों से ही नि:सृत है, युक्तियुक्त और प्रत्यक्ष सिद्ध है इसे वैज्ञानिकों ने अत्यन्त पश्रिम करके प्रत्यक्षीभूत किया है, इसको पढ़ाना अगली पीढ़ियों को एवम् इस भौतिक ज्ञान को भी समुन्नत बनाना है। शुभगुणों को धारण करवाना भी बहुत बड़ा दान है; विद्या का धारण भी शुभ गुण है, दयालुता, नम्रता, शीलता, आस्तिकता आदि का ग्रहण करवाना महोपकार का कार्य है, श्रेष्ठ व्यवहार तथा आचरण सिखाना भी मनुष्यों को सुख ही पहुँचाता है; अपने-अपने द्वारा उपार्जित विद्या, बल, धन, गुणादि को दूसरों को देना, ग्रहण करवाना ही दान है।।

४८. कर्म-जो मन, इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहाता है। वह शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से तीन प्रकार का है।

व्याख्या-जीव मन से संकल्प करता है; अच्छा या बुरा सोचता है, यह मानसिक कर्म है; इन्द्रियों में वाणी से जो बुरा बोलता है, वह वाचिक कर्म कहलाता है; हाथ, पैर, रसना, चक्षु आदि से जो प्रयत्न किया जाता है वह शारीरिक कर्म कहलाता है। यह कर्म शुभ (पुण्य), अशुभ (पाप) और मिश्र अर्थात् पुण्य और पाप मिला हुआ तीन प्रकार का होता है।

४९. क्रियमाण-जो वर्तमान में किया जाता है सो **'क्रियमाण कर्म'** कहाता है।

व्याख्या-वर्तमान जीवन में किये जाते हुये कर्म को क्रियमाण (किया जाता हुआ) कर्म कहते हैं।

५०. सञ्चित-जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है, उसको **'सञ्चित'** कहते हैं।

व्याख्या-जो कर्म हम करते जाते हैं, वह क्रिया तो नष्ट होती जाती है, परन्तु उसको कैसे किया, क्या-क्या कठिनाई आयी, क्या सुख वा दु:ख मिला, क्या सावधानी अतिरिक्त हो जिस से परिणाम सुखद हो, आदि-आदि के संस्कार ज्ञान (स्मृति रूप) में जमा होते जाते हैं, इसको **सञ्चित** कहते हैं।

क्रमश ....

राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा आयोजित दो दिवसीय सत्रों व सभा से सम्बन्धित नवीन जानकारी सभा की बेवसाईट- **www.aryanirmatrisabha.com** पर उपलब्ध है। अत: आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। यह पत्रिका भी प्रत्येक मास दिनांक 10 को सभा की बेवसाईट पर डाल दी जाती है अत: पत्रिका को पढ़ने के लिए साईट के लिंक- **www.aryanirmatrisabha.com/**हिन्दी में पत्रिका पर जाएं।

आओ यज्ञ करें!

अमावस्या	06 अक्टूबर	दिन-बुधवार	मास-आश्विन	ऋतु-शरद	नक्षत्र-हस्त
पूर्णिमा	20 अक्टूबर	दिन-बुधवार	मास-आश्विन	ऋतु-शरद	नक्षत्र-रेवती
अमावस्या	04 नवम्बर	दिन-गुरुवार	मास-कार्तिक	ऋतु-हेमन्त	नक्षत्र-चित्रा/स्वाती
पूर्णिमा	19 नवम्बर	दिन-शुक्रवार	मास-कार्तिक	ऋतु-हेमन्त	नक्षत्र-कृतिका

द्विदिवसीय आर्य/आर्या प्रशिक्षण के बाद सत्रार्थियों के अनुभव

अच्छा। चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र भक्ति जाग्रत करने हेतु इतिहास, वेद एवं अन्य माध्यम से चर्चा की गई और प्रश्नोत्तर हुए उनसे प्रभावित हुआ। ऐसे सत्र अधिक से अधिक होने चाहिये। व्यापक रूप से अधिक नए व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित हो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए।

नाम : ईश्वरानन्द, आयु : ४३ वर्ष, योग्यता : एम.ए., कार्य : कथावक्ता, शिक्षक, पता : बरेली, उत्तर प्रदेश।

सत्र के द्विदिवसीय कार्यक्रम में मुझे अपने धर्म, सिद्धांन्त और ईश्वर कौन है? क्या है? इस बारे में पूरी जानकारी मिली। मुझे हर चीजे बारे में तर्क के साथ जवाब मिला, मैं यह जान पाया कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है। मुझे इस सत्र में बहुत आनन्द आया और मुझे गर्व है कि इस सत्र का हिस्सा बना।

मैं आर्य बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाहन करूंगा, मैं लोगों को अपने धर्म के प्रति राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा से कर्तव्य का पालन करुँगा। मैं लोगों को प्रेरित करुंगा कि वो सत्र में आए और अपने धर्म के प्रति राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, उसे जाने और समझे। धन्यवाद

नाम : अमन साहू, आयु : २२ वर्ष, योग्यता : स्नातक, कार्य : विद्यार्थी, पता : धनबाद, झारखण्ड़।

इस सत्र में दो दिन सीखने के बाद मैं अपने आप को भारत का एक जिम्मेदार नागरिक समझने लगा हूँ। यहाँ मुझे कई ऐसी बातें जानने का अवसर मिला जो मैं पहले शायद जानता ही नहीं था। जैसे कि 'ईश्वर का स्वरूप, आत्मा क्या है? धर्म क्या है?' आदि।

मुझे यहीं यह ज्ञान मिला कि उपासना पद्धति व संध्या आदि का क्या महत्व है, तथा उसे किस प्रकार किया जाना चाहिये। सबसे महत्वपूर्ण है कि मुझे यहाँ पर यह सीखने का अवसर मिला की राष्ट्र में मुझे किस प्रकार अपना योगदान देना है, व किस गम्भीरता से इसके प्रति मुझे कर्तव्य पालन करना चाहिये।

मैं अवश्य ही इसी प्रकार के आयोजनों को सफल बनाने के लिये कुछ ना कुछ व्यक्तियों से सम्पर्क कर उन्हें आर्य बनने के लिये प्रेरित करुँगा। इसके अलावा अपनी ओर से संगठन की यथायोग्य सहायाता करुँगा।

नाम : अरुण राठी, आयु : ४९ वर्ष, योग्यता : स्नातक, कार्य : अध्यापक, पता : हरिद्वार, उत्तराखण्ड़।

मैं जीवन में बहुत समय से भागवान और ईश्वर को लेके बहुत दुविधा में था और यहाँ पे आने के बाद मेरी बहुत सारी दुविधा दूर हुई। ईश्वर को लेके। भगवान को लेके और अब मैं समझ चुका हूँ कि हम सभी आर्य हो और मैं जितना हो सके इसे सभी तक फैलाऊंगा और हम सब फिर से एक बार आर्य जरूर होगें। और इस बार हम पर अन्याय नहीं होगा।

मैं अब अपनी सच्चाई को जान चुका हूँ तो मैं कितना हो सके इस चीज को फैलाया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुकुल में लेके आऊंगा ताकि वो भी अपनी असलीयत को जाने और धर्म की सही राह पर चले और अपने राष्ट्र की रक्षा सब मिलके करें।

नाम : कृष्ण मुरारी, आयु : २८ वर्ष, योग्यता : स्नातक, पता : धनबाद, झारखण्ड़।

मुझे इस सत्र में आने के बाद ये पता चला कि वास्तव में हम आज जिस अन्धविश्वास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वह वास्तव में एक ऐसी गहरी खाई है जिससे बाहर आना सम्भव नहीं था क्योंकि हमे आज तक अपने ईश्वर का ही नहीं पता था कि वास्तव में वो है क्या? और वो कैसा है? हम आज तक सिर्फ मूर्ति-पूजा में ही ईश्वर को ढूंढ़ते रहे। हमे अपने वेदों का ज्ञान नहीं था हमे वेदों के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं था। हमे यह नहीं पता था हमारा अपने राष्ट्रके प्रति क्या कर्तव्य है? हमें क्या करना है? हमारे राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी।

नाम : अंकुर वर्मा, आयु : २९ वर्ष, योग्यता : बी.एस.सी., कार्य : नेटवर्क मार्किटिंग, पता : हरिद्वार, उत्तराखण्ड़।

सत्र के प्रारम्भ में मैं पूर्व कतिपथ बिन्दुओं के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं थी परन्तु प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर अनेक विषयों की जानकारी प्राप्त हुई। जैसे-ईश्वर क्या है? धर्म-अधर्म क्या है, ईश्वर का स्वरूप, आत्मा तथा परमात्मा का निराकार होना, ईश्वर की उपासना आदि की जानकारी तथा महर्षि दयानन्द जी के द्वारा राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान रहा आदि।

इस सभा में प्रथम बार प्रतिभाग किया है जो भी राष्ट्र निर्माण के कार्य होंगे सदैव तत्पर रहूँगा एवं सहयोग प्रदान करता रहूँगा।

नाम : सुरेन्द्र शास्त्री, आयु : ६२ वर्ष, योग्यता : शास्त्री, कार्य : अध्यापक, पता : खड़ा राम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश।

मैं पहले पौराणिक मत हिन्दू धर्म को मानता था, और मेरे घर में जिस प्रकार अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा होती थी तो करता था। कभी किसी से प्रश्न किया तो संतोषजनक उत्तर नहीं मिला कि मैं कौन हूँ और मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला। परन्तु आर्य दिव्यप्रकाश जी की ऑनलाइन कक्षाएँ पूर्ण करने पर मुझे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिले गये और पहले अपने धर्म का ज्ञान नहीं था वो भी प्राप्त हो गया। इस के बाद उनकी प्रेरणा से मैं दो द्विवसीय सत्र में सम्मिलित हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे अपनें यही धर्म, प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर व बुद्धि से परख करने पर समझ आया।

मैं मेरे आचार्य जी और व्यवस्थापकों का आभारी हूँ। जिन्होंने मुझे जीवन का सार समझाने में मेरी पूर्ण मद्द की। मैं प्रचारक, पुरोहित, प्रवक्ता, क्षत्रिय सभा, छात्र सभा आदि में सहयोग प्रदान करुँगा यदि किसी उच्चपद या व्यवसाय करुँगा तो आर्थिक सहयोग भी करुँगा।

नाम : सुनील स्वामी, आयु : २४ वर्ष, योग्यता : बी.ए., कार्य : छात्र, पता : सिहागान, हनुमानगढ़, राजस्थान।

संध्या काल

आश्विन-मास, शरद-ऋतु, कलि-5122, वि. 2078
(21 सितम्बर 2021 से 20 अक्टूबर 2021)
प्रातः कालः 6 बजकर 00 मिनट से (6.00 A.M.)
सांय कालः 6 बजकर 30 मिनट से (6.30 P.M.)

कार्तिक-मास, हेमन्त-ऋतु, कलि-5122, वि. 2078
(21 अक्टूबर 2021 से 19 नवम्बर 2021)
प्रातः कालः 6 बजकर 15 मिनट से (6.15 A.M.)
सांय कालः 6 बजकर 15 मिनट से (6.15 P.M.)

आर्य निर्माणशाला में विभिन्न स्थानों पर निर्मात्री सभा के आचार्यों द्वारा आर्य व आर्या निर्माण

स्वामी व प्रकाशक आचार्य हनुमत्प्रसाद द्वारा सांगोपांगवेद विद्यापीठ, आर्ष गुरुकुल, टटेसर-जौन्ती, दिल्ली-81 से प्रकाशित

कृण्वन्तो विश्वमार्यम् - समाचार पत्र मे छपे लेखों तथा विचारों से सम्पादक का पूर्णतया सहमत होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि अनवधानतावश त्रुटि एवं मतभिन्न होना सम्भव है। सभी न्यायिक विवाद दिल्ली में निपटाये जाएंगे।